वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 41 वीं बैठक दिनांक 20 अगस्त 2011 को अपरान्ह पूर्व 11.00 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई एवं बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया :–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति महोदय
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2- प्रो0 पी0 के0 शर्मा — सदस्य
   आचार्य(प्रबंध)वमखुविवि,कोटा।

3- प्रो0 एम0 के0 घड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य (अर्थशास्त्र),वमखुविवि,कोटा ।

4- प्रो0 बी0 के0 शर्मा — सदस्य
   आचार्य (इतिहास) वमखुविवि,कोटा ।

5- डा0 आर0 सी0 मीणा — सदस्य
   निदेशक(क्षे0के0)अजमेर।

6. डा0 एल0 आर0 गुर्जर — सदस्य
   सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

7- डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा — सदस्य
   सह आचार्य (इतिहास)वमखुविवि,कोटा।

8- डा0 एच0 बी0 नंदवाना — सदस्य
   सह आचार्य (पुस्तकालय)वमखुविवि,कोटा।

9- डा0 अशोक शर्मा — सदस्य
   सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

10. डा0 जे0 के0 शर्मा — सदस्य
सह आचार्य (अर्थशास्त्र)वमखुविवि,कोटा।

11. डा0 बी0 अरूण कुमार — सदस्य
सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

12. श्री योगश शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य (विधी)वमखुविवि,कोटा।

13. डा0 आर0 के0 जैन — सदस्य
सहा0 आचार्य (प्रबंध)वमखुविवि, कोटा।

14. डा0 श्रीमती क्षमता चौधरी — सदस्य
सहा0 आचार्य (अंग्रेजी)वमखुविवि,कोटा।

15. डा0 श्रीमती मीता शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य (हिन्दी)वमखुविवि,कोटा।

16. डा0 श्रीमती कीर्ती सिंह — सदस्य
सहा0 आचार्य (शिक्षा)वमखुविवि,कोटा।

17. डा0 अनुराधा गोधा — सदस्य
सहा0 आचार्य (वाणिज्य)वमखुविवि,कोटा।

18. श्रीमती अनुराधा शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य (बॉटनी) वमखुविवि,कोटा।

19. श्री एन0 एल0 चांडक — विशेष आमंत्रित
परीक्षा नियंत्रक,वमखुविवि,कोटा।

20. डा0 जुल्फिकार बेग मिर्जा (R.A.S.) — सदस्य सचिव
कुलसचिव

माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सदस्य सचिव को बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिये जाने के साथ ही बैठक विधिवत प्रारंभ हुई. कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

Contd

41/01 विद्या परिषद की 39 वीं एवं 40 वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों अनुमोदन एवं अनुपालना प्रतिवेदनों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

विद्या परिषद की 39 वीं एवं 40वीं बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अनुपालना प्रतिवेदन 39 वीं बैठक के निर्णय संख्या 39/01 जिसमें कि 36वीं 37वी एवं 38वीं बैठकों के कार्यवाही विवरण अनुमोदित किये गये थे, इस निर्णय की अनुपालना में लिखा गया था कि "कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं" माननीय सदस्य प्रो0 एम0 के0 घड़ोलिया द्वारा 36वीं बैठक के निर्णय संख्या 36/03 (5) के कम में परीक्षा कार्य हेतु परीक्षकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की सीमा बढाये जाने बाबत् प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने के सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी चाही गई। उक्त जानकारी के कम में सदन को बताया गया कि राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही करने हेतु तत्समय परीक्षा नियंत्रक को पत्र कमांक 3817 दिनांक 29.09.09 प्रेषित किया गया था, आगामी प्रगति के सम्बन्ध में परीक्षा विभाग से जानकारी प्राप्त करने के बाद माननीय सदस्यों को अवगत करवा दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णयों के संक्षेप विवरण/अनुपालना में उल्लेखित टंकण त्रुटियों को दुरस्त करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया:-

निर्णय संख्या	कार्यसूची विवरण में उल्लेखित निर्णय /अनुपालना का संक्षेप विवरण	टंकण त्रुटी को ठीक करते हुए संक्षेप विवरण
39/05	अनुपालना प्रतिवेदन में प्रवेश विभाग के आदेश कमांक 142-51 जारी करने का दिनांक 07.09.11 लिखा हुआ है।	उक्त दिनांक को 07.09.10 पढा जावे।
39/15	निर्णय के संक्षेप विवरण में पाठ्यकम का नाम पी0जी0डी0एम0 लिखा गया है।	उक्त पाठ्यकम का नाम पी0जी0डी0जी0एम0 पढा जाए।
39/16	निर्णय के संक्षेप विवरण में राजस्थानी भाषा विषय को बी0ए0 एवं एम0ए0 में वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित करने का उल्लेख किया हुआ है।	उक्त निर्णय को राजस्थानी भाषा को सिर्फ बी0ए0 में वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित करने बाबत् पढा जाए।

41/02 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राद्यापकों की नियुक्ति एवं सी0ए0एस0हेतु निर्धारित नियमों को वि0वि0 में लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के कम में यु0जी0सी0 के नियम अवलोकन एवं विचारविमर्श का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी नियम एवं राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने का अनुमोदन किया गया।

41/03 अतिथि/ अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति/ मानदेय योजना के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को विश्वविद्यालय में लागू करने का प्रस्ताव।

अतिथि /अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय योजना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने का अनुमोदन किया गया।

41/04 विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के श्रेयांक/परीक्षा पद्धति में परिवर्तन सम्बन्धी आदेश अवलोकन एवं अनुमोदनार्थः–

1. सर्टिफिकिट कोर्स इन फंक्शनल इंगलिश में श्रेयांक लागू करने सम्बन्धी निर्णय को नोट किया गया।
2. बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम की परीक्षा पद्धति में प्रस्तावानुसार बदलाव एवं पाठ्यक्रम के पार्ट द्वितीय एवं तृतीय के नोमिनकलचर परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3. बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के क्रेडिट 106 से बढाकर 108 करने के निर्णय को नोट किया गया।
4. सत्र जुलाई–11 से बी0एल0आई0एस0 कार्यक्रम में श्रेयांक 05 से बढाकर 06 प्रति पाठ्यक्रम एवं एम0एल0आई0एस0 में श्रेयांक 04 से बढाकर 06 प्रति पाठ्यक्रम किये जाने का निर्णय के क्रम में जारी आदेश कमांक 1342 दिनांक 27.05.11 अवलोकन कर नोट किया गया।
5. बी0जे0 (एम0सी0) कार्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रमों के श्रेयांक 05 से बढाकर 06 प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित किये जाने सम्बन्धी आदेश कमांक 1328 दिनांक 27.05.11 अवलोकन कर नोट किया गया।
6. एम0एस0सी0 कंप्युटर विज्ञान कार्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रमों के श्रेयांक जुलाई 2011 से परिवर्तित कर 06 श्रेयांक प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित किये सम्बन्धी आदेश कमांक 1414 दिनांक 02.06.11 अवलोकन कर नोट किया गया।
7. सी0सी0टी0 कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों में पूर्ण श्रेयांक जुलाई 2011 से 14 के स्थान पर 18 किये जाने सम्बन्धी आदेश कमांक 1490 दिनांक 10.06.11 अवलोकन कर नोट किया गया।
8. पर्यटन मार्गदर्शन प्रमाण पत्र में श्रेयांक व्यवस्था लागू (कुल 18 श्रेयांक) किये जाने सम्बन्धी आदेश कमांक 1536 दिनांक 14.06.11 अवलोकन कर नोट किया गया।

41/05 कंप्युटर एकाउंटिंग में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी0जी0 डिप्लोमा सत्र जुलाई 2010 से प्रारंभ किये जाने के आदेश सूचनार्थ।

कंप्युटर एकाउंटिंग में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी0जी0 डिप्लोमा सत्र जुलाई 2010 से प्रारंभ किये जाने के आदेशों की पुष्टि करते हुए नोट किया गया।

41/06 महात्मा गांधी नरेगा विषय में मेट का प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय सूचनार्थ।

महात्मा गांधी नरेगा विषय में मेट प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्णय को नोट किया गया।

41/07 एम0ए0/एम0एस0सी0 भूगोल (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) पाठ्यक्रम की प्रवेश योग्यता, कार्यक्रम संरचना एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु नियमों का अनुमोदन।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न कार्यक्रम संरचना एवं प्रायोगिक परीक्षा के नियमों का अवलोकन करने के बाद अनुमोदित किया गया।

41/08 नरेगा मेट कार्यक्रम के तृतीय प्रश्न पत्र में व्यवहारिक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी आदेश पुष्टि हेतु।

निदेशक (संकाय) द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक 3485 दिनांक 27.10.11 की पुष्टि की गई।

41/09 एक्युप्रेशर में प्रमाण पत्र कार्यक्रम हेतु सी0डी0सी0 गठित किये जाने के आदेश सूचनार्थ।

एक्युप्रेशर में प्रमाण पत्र कार्यक्रम हेतु सी0डी0सी0 गठित किये जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 472 दिनांक 23.05.11 को नोट किया गया।

41/10 पुलिस में स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन की अनुमति सूचनार्थ।

पुलिस में स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन की महत्वता के सम्बन्ध में कार्यक्रम कार्डिनेटर डा0 अशोक शर्मा द्वारा विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर दिये जाने के बाद चर्चा उपरांत कार्यक्रम संचालन की दी गई अनुमति को नोट किया गया।

41/11 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के आर्डिनेंसेस अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय द्वारा संचलित विभिन्न पाठ्यक्रमों के आर्डिनेंसेस के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विस्तृत से जानकारी देते हुए सदन को अवगत करवाया कि पूर्व में विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित आर्डिनेंसेस को अद्यतन करने एवं उसमें नये प्रावधान जोडे जाने तथा विश्वविद्यालय में प्रचलित अधिनियम, नियमों ,स्टेच्युट्स आदि को संकलित कर हैंडबुक तैयार करने वास्ते संकाय सदस्यों की एक समिति का गठित की गई थी, उक्त समिति द्वारा समय समय पर राजस्थान विश्वविद्यालय में गणित विषय के सेवानिवृत्त आचार्य प्रो0 अनिल माथुर, राजस्थान विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलोजी के सेवानिवृत्त आचार्य प्रो0 एच0सी0 जैन एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के ही अंग्रेजी के सेवानिवृत्त आचार्य श्री जी0डी0 पालीवाल से भी आवश्यक सलाह प्राप्त करते हुए अल्प समय में ही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों के आर्डिनेंस तैयार करते हुए एक हैंडबुक भी तैयार कर ली गई है।
उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा समिति के सदस्यों व प्रो0 अनिल माथुर, प्रो0 एच0सी0 जैन एवं श्री जी0डी0 पालिवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया जाने के उपरांत कार्यसूची विवरण के साथ प्रस्तुत किये गये आर्डिनेंसेस का अनुमोदन किया गया।

41/12 विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में विभिन्न निर्ण

1. दिसंबर–2008 से दिसंबर 2009 तक आयोजित विभिन्न पाठ्यकमों की परीक्षाओं सफल परीक्षार्थीयों को उपाधि वितरित करने की अनुमति।
2. प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।
3. दीक्षांत समारोह के दौरान शोद्यार्थीयों को उपाधि वितरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।
4. जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पांचवे दीक्षांत समारोह के बाद घोषित हुए है,उन्हें उपाधि/डिप्लोमा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।

उक्त प्रस्तावों के कम में बिंदु संख्या 01 में दिसंबर 2009 के स्थान पर दिसंबर 2010 तक की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हाने वाले विद्यार्थियों को भी उपाधि प्रदान किये जाने , प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिये जाने, दीक्षांत समारोह के दौरान शोद्यार्थियों को उपाधि वितरित किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पांचवें दीक्षांत समारोह के बाद घोषित हुए हैं,उन्हें भी छठे दीक्षांत समारोह में उपाधि/ डिप्लोमा प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त निर्णयों के बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित टेबिल ऐजेंडा पर भी चर्चा कर निर्णय किये गये:–

41/13(1.1) प्रसूति विद्या में प्रमाण पत्र कार्यकम के पाठ्यकम 02 एवं 03 को मिलाकर एक पाठ्यकम करने, पाठ्यकम 04 एवं 05 को मिलाकर एक पाठ्यकम करने एंव संपूर्ण कार्यकम में 06 श्रेयांक बढाये जाने सम्बन्धी निर्णय की पुष्टि की गई।

41/13(1.2) दूरस्थ शिक्षा में प्रमाण पत्र पाठ्यकम के 01,02,03 कार्यकम को मिलाकर एक करने एवं इसके पश्चात् इसके श्रेयांक बढाकर 06 करने एवं पाठ्यकम 04 एवं 05 को मिलाकर एक करने व इसकें श्रेयांक भी बढाकर 06 करने के निर्णय की पुष्टि की गई।

41/13(1.3) पंचायती राज प्रोजेक्ट कार्यकम का नाम परिर्वतित कर पंचायती राज में प्रमाण पत्र कार्यकम करने एवं सत्रीय गृह कार्य के माध्यम से परीक्षा करवाने के निर्णय की पुष्टि की गई।

41/13(1.4) सभी कार्यकमों में प्रवेश के समय लिये जाने वाले शुल्क को दो के स्थान पर एक मुश्त लिये जाने सम्बन्धी आदेश के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कुछ सदस्यगणों का मत था कि इस निर्णय से छात्र संख्या में गिरावट आने की संभावना है,जब कि अन्य सदस्यों का मत था कि छात्र संख्या में गिरावट के लिए शुल्क एक साथ लिए जाना ही एक मात्र कारण नहीं हो सकता है,बल्कि इसके लिए कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते है, जिन पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त चर्चा के बाद व्यवस्था दी कि एक वर्ष बाद शुल्क एक मुश्त लिए जाने के निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव का पुनः आंकलन किया

जाएगा उसके बाद आवश्यक समझा गया तो इस पर पुर्नविचार किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के उक्त वक्तव्य के बाद सदन द्वारा प्रवेश विभाग के आदेश कमांक 84–94 दिनांक 29.04.11 को नोट किया गया।

41/13(2) विजिटिंग प्रोफेसर्स/फैलो/विशेष फैलो के सम्बन्ध में योजना एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/दूरस्थ शिक्षा परिषद से स्वीकृत रिसर्च प्रोजेक्टों के सम्बन्ध में प्रस्तुत गाईडलाइन का अनुमोदन किया गया।

41/13(3) बी0ए0 में शिक्षा (वैकल्पिक विषय) के पाठ्यकम की उपयोगिता से सदन को अवगत करवाने के बाद कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न पाठ्यकम का अनुमोदन किया गया।

41/13(4) दूरस्थ शिक्षा में शोध के लिए केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

41/13(5) ट्रांस्कीपशन दरों एवं रिविजन एवं अपडेशन की दरों में किये गये सुधार सम्बन्धी आदेश कमांक संकाय/3980 दिनांक 18.01.11 की पुष्टि की गई।

41/13(6) ओस्टीयोपेथी में प्रमाण पत्र कार्यकम में प्रवेश योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बी0डी0एस0 उपाधि धारकों को भी उक्त प्रमाण पत्र में प्रवेश के योग्य माने जाने का निर्णय किया गया।

41/13(7) सी0सी0टी0 कार्यकम के श्रेयांक में जुलाई–11 सत्र से किये गये संशोधन सम्बन्धी आदेश कमांक :–संकाय/1490 दिनांक 10.06.11 का अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया गया है उक्त आदेश जारी किये गये आर्डिनेंसेस के अनुरूप ही होने चाहिये।

उक्त निर्णयों के बाद माननीय सदस्य डा0 आर0 सी0 मीणा द्वारा सदन को बताया गया कि वर्तमान में परीक्षा में प्रविष्ट हुए समस्त छात्रों को अंकतालिका प्रदान नहीं किये जाने के कारण छात्रों को परेशानी होती है एवं विश्वविद्यालय की छवि पर अनावाश्यक रूप से दुश्प्रभाव पड़ता है, अन्य सदस्यगणों द्वारा भी डा0 मीणा के उक्त कथन से सहमति व्यक्त करने के बाद निर्णय किया गया कि परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक रूप से अंकतालिका उपलब्ध करवाई जाए। सदन द्वारा यह भी निर्देशित किया किं वर्तमान में चल रहे समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम व भविष्य में प्रारंभ किये जाने वाले नवीन कार्यक्रम अनुमोदित आर्डिनेंसेस के अनुकूल ही तैयार किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त निर्णयों के पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद